

सौर तूफान

[स्रोत: द हट्टि](#)

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पहले की अपेक्षा सतह के बहुत करीब बना है। अध्ययनों के अनुसार यह लगभग 20,000 मील (32,000 किलोमीटर) नीचे है, जबकि पहले यह 130,000 मील (209,000 किलोमीटर) से अधिक माना जाता था।

- यह अध्ययन सौर चक्रों का पूर्वानुमान करने और गंभीर सौर तूफानों की घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता कर सकती है।


सौर चक्र, सौर कलंक और सौर प्रज्ज्वाल क्या हैं?

■ सौर चक्र (Solar Cycle):

- अधिकांश सौर-कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्ष में बदलती है जिसे एक 'सौर चक्र' कहा जाता है।
 - सूर्य, गर्म, वदियुत-आवेशति गैस का एक वशाल गोला, एक शक्तशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो एक चक्र से गुजरता है जिसे 'सौर चक्र' के रूप में जाना जाता है।
- प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जिस कारण सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपना स्थान परिवर्तित लेते हैं।
- सौर चक्र सूर्य की सतह पर गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे कि सौर कलंक जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं।
- सौर कलंक की गणना करके सौर चक्र का पता लगाया जाता है। यह सौर न्यूनतम से शुरू होता है, जो कुछ सौर कलंक द्वारा चिह्नित होता है तथा जब सौर कलंक संख्या चरम पर होती है, तो सौर अधिकतम की ओर बढ़ता है।

■ सौर कलंक (Sunspots):

- सूर्य की सतह पर सौर कलंक काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे असाधारण रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले ठंडे क्षेत्र हैं, जो गर्मी को सतह तक पहुँचने से रोकते हैं।




■ सौर प्रज्ज्वाल (Solar Flares):

- सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण, ऊर्जा के अचानक होने वाले वसिफोट से सोलर

फ्लेयर्स उत्पन्न होती हैं।

- सौर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण विकिरण उत्सर्जति करती हैं, अत्यधिक तीव्र होने पर ये पृथ्वी पर रेडियो संचार को बाधति कर सकती हैं।
- सौर फ्लेयर्स कभी-कभी कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के साथ होती हैं। CME सूर्य से आने वाले विकिरण और कणों के विशाल बुलबुले हैं। जब सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ अचानक पुनर्र्गठित हो जाती हैं तो वे तीव्र गतिसे अंतरिक्ष में वसिफोट करते हैं।



सौर तूफान क्या हैं?

परचियः


- सौर तूफान (Geomagnetic Storms) तब होते हैं, जब बड़े पैमाने पर चुंबकीय वसिफोट, जो अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और संबंधित सौर ज्वाला का कारण बनता है, सौर वातावरण में आवेशित कणों के वेग को तीव्र कर देता है।

पृथ्वी की ओर गतिः

- ये लगभग तीन मलियन मील प्रतिघंटे की गतिसे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं।
- जब एक CME (हाई-स्पीड सोलर स्ट्रीम) पृथ्वी पर पहुँचती है, तो यह मैग्नेटोस्फीयर के साथ संपर्क करती है, जिससे मैग्नेटोस्फीयर संकुचति और उत्तेजति हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जावान सौर वायु के कण ध्रुवों के नकिट हमारे वायुमंडल तक पहुँच जाते हैं।
 - पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर उसके चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा नरिमति होता है और यह आमतौर पर सूर्य द्वारा उत्सर्जति कणों से हमारी रक्षा करता है।

पृथ्वी के नकिट सौर विकिरण तूफानों का प्रभावः

- जब ऊर्जावान प्रोटॉन अंतरिक्ष में उपग्रहों या मनुष्यों से अथवा जसि पडि से टकराते हैं, उसमें गहराई तक भेदने की क्षमता रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्कटि अथवा जैविक DNA को हानिपहुँचा सकते हैं।
- अधिक तीव्र सौर विकिरण तूफानों के दौरान, अधिक ऊँचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों में यात्रियों और चालक दल को विकिरण जोखमि का सामना करना पड सकता है।
- भू-चुंबकीय तूफान ऑरोरा (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में रोशनी) का कारण भी बन सकते हैं।



और पढ़ें: [सनस्पॉट](#), [सौर प्रज्वाल](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. यदि कोई मुख्य सौर तूफान (सौर प्रज्वाल) पृथ्वी पर पहुँचता है, तो पृथ्वी पर नमिनलखिति में कौन-से संभव प्रभाव होंगे? (2022)

1. GPS और दकिसंचालन (नैवगिशन) प्रणालियाँ वफिल हो सकती हैं।
2. वषुवतीय कषेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं।
3. बजिली ग्रडि कषतगिरस्त हो सकते हैं।
4. पृथ्वी के अधकिांश हसिसे पर तीव्र धरुवीय ज्योतियाँ घटति हो सकती हैं।
5. ग्रह के अधकिांश हसिसे पर दावाग्नियाँ घटति हो सकती हैं।
6. उपग्रहों की कक्षाएँ वकिषुब्ध हो सकती हैं।
7. धरुवीय कषेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघुतरंग रेडियो संचार बाधति हो सकता है।

नीचे दएि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि :

- (a) केवल 1, 2, 4 और 5
- (b) केवल 2, 3, 5, 6 और 7
- (c) केवल 1,3, 4, 6 और 7
- (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उत्तर: (c)

वैकल्पकि मतदान वधियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मतदाता भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लयि वशिव के सबसे बड़े आम

- चुनाव (आम चुनाव) में मतदान कर रहे हैं, जो सात चरणों में संपन्न होगा।

नागरिकों के लिये मतदान की वैकल्पिक वधियाँ क्या हैं?

■ RPA के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया:

- **लोक प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA)**, सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करने के लिये कुछ मतदाताओं को अपवादों के साथ, **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** का उपयोग करके नरिदषिट मतदान केंद्रों पर व्यक्तगित रूप से मतदान करने का आदेश देता है।

- **डाक मतपत्र:** डाक मतपत्र उन मतदाताओं को दूर से मतदान करने की अनुमति देता है जो मतदान केंद्रों पर उपस्थिति नहीं हो सकते हैं, जैसा कि **RPA की धारा 60** में नरिदषिट है।

- यह पद्धति सामान्य मतदान से **तीन प्रकार से भिन्न है:**

- मतदान, मतदान केंद्र के बाहर होता है,
- यह EVMs द्वारा नहीं होता है।
- नरिवाचन क्षेत्र में नरिधारति मतदान तथिसे पूर्व ही मतदान संपन्न होता है।

- **पात्रता: चुनाव संचालन नयिम, 1961 के नयिम-18** के अनुसार, नमिनलखिति वर्गों के व्यक्ता डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिये पात्र हैं:

- **वशिष मतदाता: RPA की धारा 20(4) के अंतर्गत** घोषति पद धारण करने वाले व्यक्ता, जनिमें **राषट्रपति, उपराषट्रपति, राजयपाल**, कैबनिट मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ता, आर्दा और उनके पतिया पत्नी शामिल हैं।
- **सेवा मतदाता: भारतीय सशस्त्र बलों**, अरधसैनिक बलों के सदस्य, अपने राज्य के बाहर सेवारत एक सशस्त्र राज्य पुलिस सदस्य या वदिश में तैनात एक सरकारी कर्मचारी और उनके साथ रहने वाले उनके पतिया पत्नी।
- **चुनाव ड्यूटी पर मतदाता:** चुनाव ड्यूटी में शामिल आयोग के अधिकारियों से लेकर नजी कर्मियों तक सभी व्यक्ता शामिल हैं।
- **RPA 1951 की धारा 60 (c) के अंतर्गत अनुपस्थति मतदाता:** वर्ष 2019 में **चुनाव आयोग** ने "अनुपस्थति मतदाताओं" की श्रेणी बनाई, जसिमें 85 वर्ष या उससे अधिक उमर के **वरषिट नागरिक**, कम से कम 40% वकिलांगता वाले दवियांग व्यक्ता शामिल हैं और ऐसे व्यक्ता जो रेलमार्ग, दूरसंचार, बजिली, स्वास्थय, यातायात, वमिनन, अग्नशिमन सेवाओं एवं अधिकृत मीडिया संगठनों जैसी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ता भी जो **कोवडि-19** से प्रभावति हैं, को शामिल कया गया है।
- **नवारक नरिोध के तहत:** नरिवाचकों को **नवारक नरिोध** के अधीन कया गया।

- **आवेदन की प्रक्रिया:** डाक मतदान के लिये योग्य व्यक्तियों को एक नरिदषिट समय सीमा के भीतर औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा, जबकि सेवा मतदाताओं और नवारक हरिसत के तहत आने वाले लोगों को स्वचालति रूप से डाक मतपत्र प्राप्त होते हैं तथा एक बार जारी होने के बाद वे व्यक्तगित रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं।

- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारति डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System- ETPBS):** वर्ष 2016 में नयिम 23 में एक संशोधन ने सेवा मतदाताओं के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति पोस्टल बैलेट ससि्टम (ETPBS) की शुरुआत की, जसिसे एनकरपिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमशिन के माध्यम से डाक मतपत्रों की तेज़ी से डलिवरी और पोस्ट के माध्यम से मुफ्त रटिरन की सुवधि मलि सके।

- **प्रक्रिया:**

- 2022 में पेश कया गया नयिम 18A, चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करके नरिदषिट सुवधि केंद्रों पर मतदान करने का आदेश देता है।
- इसी प्रकार, आवश्यक सेवा (AVES) श्रेणी में अनुपस्थति मतदाताओं द्वारा मतदान की सुवधि के लिये डाक मतदान केंद्र (Postal Voting Centre- PVC) के लिये एक उपयुक्त स्थान और कमरे नरिधारति कयि जाते हैं।

■ होम वोटिंग:

- **मानदंड:** देशभर में 81 लाख 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दवियांग मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।
- **प्रक्रिया:** वरषिट नागरिकों और 85 वर्ष से अधिक उमर के दवियांगों तथा **कोवडि-19** संदग्धि/सकारात्मक श्रेणी के अनुपस्थति मतदाताओं के लिये, बूथ स्तर के अधिकारी (Booth Level Officers- BLO) फॉर्म 12D देते हैं तथा अनवार्य रूप से उनसे पावती प्राप्त करते हैं।

■ वविधि:

- **एक पृथक मतदान केंद्र में मतदान:** जब एक चुनावी कार्यकर्ता को उनके पंजीकृत नरिवाचन क्षेत्र में नयुक्त कया जाता है, तो उन्हें एक चुनाव करतव्य प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जो उन्हें उनके नरिधारति मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति देता है; अन्यथा वे डाक मतपत्र के लिये पात्र होते हैं।
- **प्रॉक्सी वोटिंग:** सशस्त्र और अरधसैनिक सेवा के सदस्य प्रॉक्सी या डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं; प्रॉक्सी का वकिल्प चुनने वालों को 'वरगीकृत सेवा मतदाता' कहा जाता है।
- **सहायता प्राप्त मतदान:** मतदाता वकिलांगता से संबंधति मामलों में पीठासीन अधिकारी 18 वर्ष से अधिक उमर के साथी की दाहनि तरजनी पर अमटि स्याही लगाकर उन्हें अपनी ओर से मतदान करने की अनुमति दे सकता है।

मतदान प्रक्रिया से अयोग्यता:

- जनि व्यक्तियों को **भारतीय दंड संहति (Indian Penal Code- IPC)** की धारा 171E (जो रशिवतखोरी से संबंधति है) और धारा 171F (जो चुनाव में प्रतरीपण या अनुचति प्रभाव से संबंधति है) के तहत कयि गए अपराधों के लिये दोषी ठहरया जाता है, उन्हें चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषति कर दया जाता है।
- **जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 125 (जो वभिनिन चुनावी अपराधों से संबंधति है), धारा 135 और धारा 136 के तहत अपराधों के

लये दोषी ठहराए जाने वालों को चुनाव से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

■ यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करता है, तो उसका मत (vote) अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।



भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद नपिटता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिये योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिये मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कविह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडकि अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जसि पाँच वर्ष के लिये कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिये स्थायी तौर पर नरिहत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

CSIR-CMERI का इनोवेटिव इलेक्ट्रिक टलिर

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के प्रयास में [वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद \(Council of Scientific and Industrial Research- CSIR\)](#) तथा [वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग \(Department of Scientific and Industrial Research- DSIR\)](#) ने [CSIR-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिक टलिर](#) का अनावरण किया है।

- इलेक्ट्रिक टलिर को [छोटे से सीमांत किसानों](#) (2 हेक्टेयर से कम भूमिजित) की आवश्यकताओं को पूरण करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो [भारत के कृषक समुदाय का 80% से अधिक हिस्सा है](#)।
- टलिर ने [टॉर्क और क्षेत्त्र दक्षता](#) बढ़ा दी है, जसिसे यह एक शक्तिशाली एवं कुशल कृषि उपकरण बन गया है।
 - यह उपयोगकर्त्ता के आराम और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जसिमें हाथ-बाँह का कंपन कम होना, स्थिर संचालन और शुद्ध शून्य उत्सर्जन जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।
 - इलेक्ट्रिक टलिर संभावित रूप से [परिचालन लागत को 85% तक](#) कम कर सकता है, जसिसे किसानों को महत्त्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलेगा।
- टलिर का उपयोगकर्त्ता-अनुकूल डिज़ाइन बैटरी पैक स्वैपिंग और एकाधिक चार्जिंग विकल्पों का समर्थन करता है, जसिमें वैकल्पिक धारा (Alternating Current- AC) एवं सौर प्रत्यक्ष धारा (Direct Current- DC) चार्जिंग शामिल है, जो बहुउपयोगिता तथा सुविधा प्रदान करता है।
- [CSIR](#) की स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी, जसिका [मुख्यालय नई दिल्ली में है](#) और यह [वैज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय](#) द्वारा वित्तपोषित है।

और पढ़ें: [CSIR PRIMA ET11 और सरलीकृत ट्रेक्टर परीक्षण प्रक्रिया](#)

AI कृष और AI भूमि

[स्रोत: द हिंदू](#)

हाल ही में दूरदर्शन कसिान (DD KISAN) कृत्रमि बुद्धमिक्ता कृष (AI Krish) और कृत्रमि बुद्धमिक्ता भूमि (AI Bhoomi) नामक दो कृत्रमि बुद्धमिक्ता ँकर (AI Anchors) लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है।

- ये दोनों चैनल कसिानों के लिये सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, कृषिसंबंधी वभिन्न वषियों पर नमिनलखिति जानकारियों प्रदान करेंगे:
 - कृषि अनुसंधान में अत्याधुनिकि प्रगति।
 - कृषि बाजारों (मंडियों) में कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुझान।
 - मौसम के पूर्वानुमान जो फसलों को प्रभावित कर सकते हैं।
 - कृषि को समर्थन देने वाली सरकारी योजनाओं का विवरण।
- वे 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं और 24 घंटे और 365 दिन समाचार पढ़ सकते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य समग्र विकास को शक्ति करके और उसको बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथकृषि एवं ग्रामीण समुदाय की सेवा करना है।
- DD KISAN एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला कृषि टेलीविज़न चैनल है, जिसकी स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है।
- यह दूरदर्शन का प्रमुख चैनल है, जिसे 26 मई, 2015 को लॉन्च किया गया था।
 - इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करना, संतुलित खेती, पशुपालन एवं वृक्षारोपण सहकृषि की त्रि-आयामी अवधारणा को मज़बूत करना है।

और पढ़ें: [दूरदर्शन का लोगो, केवल प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण](#)

इज़रायल को राफा में सैन्य कार्रवाई बंद करने का आदेश

[स्रोत: द हिंदू](#)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) ने इज़रायल को राफा में अपने सैन्य अभियान को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।

- ICJ के फैसले में इज़रायल से राफा क्षेत्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि राफा क्रॉसिंग नरिबाध मानवीय सहायता के लिये खुला रहे।
- ICJ ने इज़रायल को [नरसंहार](#) के आरोपों की जांच के लिये संयुक्त राष्ट्र-आदेशित जांचकर्ताओं तक "अबाधित पहुँच" सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court's) के अभियोजक ने शीर्ष इज़रायली और हमास नेताओं पर [युद्ध अपराधों](#) तथा मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए गरिफ्तारी वारंट की भी मांग की।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):
 - ICJ संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसे राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, सलाहकार राय प्रदान करने का काम सौंपा गया है, लेकिन इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसलों के लिये प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।

Differences between the ICJ and the ICC

The International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) are two courts with different functions within the international legal system.

	 ICJ International Court of Justice	 ICC International Criminal Court
Established	1945	2002
UN-relationship	Highest court of the UN	Not part of the UN
Location	The Hague, the Netherlands	The Hague, the Netherlands
Jurisdiction	UN member-states	Individuals
Types of cases	Legal disputes between states and requests for advisory opinions on legal questions	Prosecutes individuals for the most serious crimes as per the Rome Statute
Appeals	No	Yes
Enforcement power	None - relies on the UN Security Council to uphold judgements, with permanent members having veto power	None - relies on cooperation from member states to enforce its decisions

और पढ़ें: [इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष](#)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा वभाग

[स्रोत: द हट्टि](#)

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा वभाग \(United Nations Department for Safety and Security- UNDSS\)](#) में कायरत एक पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नल की गाज़ा में हत्या कर दी गई।

- [गाज़ा](#) में 190 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की मृत्यु के कारण संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तत्काल मानवीय युद्धविराम का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा वभाग (UNDSS):

- यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा शाखा है। यह संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं को सुरक्षा विशेषज्ञता प्रदान करती है ताकि अपने मशिन एवं कार्यक्रमों को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकें।
- यह सुरक्षा खतरों की पहचान करता है और उनका विश्लेषण करता है तथा फिर उन जोखिमों से निपटने के लिये रणनीतियों को विकसित करता है।
- सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिये इसके पास 131 से अधिक देशों में सुरक्षा सलाहकारों, विश्लेषकों, अधिकारियों और समन्वयकों का एक नेटवर्क है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित

मुख्यालय

- न्यूयॉर्क सिटी

पहला सत्र

- 17 जनवरी, 1946 को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में

सदस्यता

- 15 सदस्य - 5 स्थायी सदस्य (P5), 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष 5 का चुनाव किया जाता है)
- P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन

UNSC की अव्यवस्था

- 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह बारी-बारी से
- वर्ष 2022 के लिये भारत की अध्यक्षता-दिसंबर

मतदान शक्तियाँ

- 1 सदस्य - 1 मत/वोट
- P5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- UN के ऐसे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, मतदान के अधिकार के बिना इसके सत्र में भाग लेते हैं

UNSC समितियाँ/प्रस्ताव

- आतंकवाद:
 - संकल्प 1373 (आतंकवाद रोधी समिति)
 - संकल्प 1267 (दाएश और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समिति:
 - संकल्प 1540 (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

भारत और UNSC

- गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22 में 8वाँ बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्थायी सीट के लिये तर्क:
 - 43 शांति मिशन
 - मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
 - भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

G4- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

United Nations Security Council

Composition through 2022



"मतैक्य के लिये मिलकर काम करना" आंदोलन (Uniting for Consensus-UfC Movement)

- अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

UNSC के समब बड़ी चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्श पर लागू नहीं होते हैं; वीटो का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन धुँकीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व



और पढ़ें... [संयुक्त राष्ट्र](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/27-05-2024/print>